न्यायालय आमेर

फर्द अहकाम

रामधन बनाम मालीराम

न्यायालय

संख्या 102/2019 3177

विशेष संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/11/2022	पत्रावली आज दिनांक 30/11/2022 को पेश हुई। ... पूर्वानुसार दिनांक 5/12/22 को पेश हो।	Anand Sharma (Advocate) 30-11-2022
	5/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। पूर्व में वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली वास्ते आदेश डिक्री दिनांक 28/12/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	28/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –102 / 2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –15.04.2015

रामधन मीणा पुत्र श्री नाथूलाल मीणा जाति मीणा निवासी प्लॉट नं. 184 पानी की टंकी के पास गैटोर रोड ब्रहम्पुरी जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. मालीराम पुत्र श्री गोवर्धन
2. भगवान सहाय पुत्र श्री गोवर्धन
3. कालूराम पुत्र श्री गोवर्धन
4. मुन्नी पुत्री श्री गोवर्धन
   4/1 मनोहर लाल पति स्व. श्रीमती मुन्नी देवी
   4/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल
   4/3 तेजप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल
   4/4 जानकी देवी पुत्री श्री मनोहर लाल
   4/5 भगवती देवी पुत्री श्री मनोहर लाल
   4/6 मधु पुत्री श्री मनोहर लाल
   4/7 रागिनी पुत्री श्री मनोहर लाल
   समस्त जाति धानका निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक आमेर, जिला जयपुर।
6. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री आनन्द शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से।

(2) प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 28.12.2022

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खाता सख्या पुराना 174 व नया 207 के खसरा नंबर 814 रकबा 0.30 हैक्टेयर स्थित विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि है जिसका विधिवत तकासमा नहीं हुआ है जबकि मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण मनबट के आधार पर आपसी रजामंदी से काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा है तथा सहखातेदारी की भूमि का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बंटवारा कराने की वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर तकासमा कर अलग पर्चा लगान जारी किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई व्यधान पैदा न करें, तथा भूमि का बेचान नहीं करें।

वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलवी की गई । प्रतिवादी संख्या 1 लगा 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 21.04.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 4/1 लगा 4/7 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 04.09.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अनुपस्थित रहने पर दिनांक 12.01.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादपत्र के साथ बतौर सबूत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2071 पेश की गई है तथा बतौर गवाह वादी का शपथ पत्र पेश हुआ है।

वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने वादपत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन करते हुए वाद को प्राथमिक डिक्री कर कुरेजात रिपोर्ट मंगाई जाने हेतु निवेदन किया। हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि में वादी हिस्सा 1/6 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का विधिवत तकासमा कराने का कानूनी रूप से अधिकार हासिल है

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 814 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि का उभयपक्षों की उपस्थिति में निहित खातेदारान की निहित खातेदारी हिस्सानुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस् तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. रामधन पुत्र नाथूलाल हिस्सा सम्पूर्ण निवासी 184 गैटोर रोड ब्रहम्पुरी जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कालूराम, भगवानसहाय, मालीराम, हनुमानसहाय पुत्रान् गोरधन हिस्सा 4/5 मुन्नी(फौत) पुत्री गोरधन वारिसान चन्द्रप्रकाश, तेजप्रकाश, जानकीदेवी, भगवती देवी, मधु, रागिनी पि0 मनोहर लाल हिस्सा 1/5 समस्त जाति धानका सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 814/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –102/2019 वाद प्रस्तुति दिनांक –15.04.2015

रामधन मीणा पुत्र श्री नाथूलाल मीणा जाति मीणा निवासी प्लॉट नं. 184 पानी की टंकी के पास गैटोर रोड ब्रहम्पुरी जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. मालीराम पुत्र श्री गोवर्धन
2. भगवान सहाय पुत्र श्री गोवर्धन
3. कालूराम पुत्र श्री गोवर्धन
4. मुन्नी पुत्री श्री गोवर्धन

4/1 मनोहर लाल पति स्व. श्रीमती मुन्नी देवी

4/2 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल

4/3 तेजप्रकाश पुत्र श्री मनोहर लाल

4/4 जानकी देवी पुत्री श्री मनोहर लाल

4/5 भगवती देवी पुत्री श्री मनोहर लाल

4/6 मधु पुत्री श्री मनोहर लाल

4/7 रागिनी पुत्री श्री मनोहर लाल

समस्त जाति धानका निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

5. उप पंजीयक आमेर, जिला जयपुर।
6. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 28.12.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1. रामधन पुत्र नाथूलाल हिस्सा सम्पूर्ण निवासी 184 गैटोर रोड ब्रहम्पुरी जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 814/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कालूराम, भगवानसहाय, मालीराम, हनुमानसहाय पुत्रान् गोरधन हिस्सा 4/5 मुन्नी(फौत) पुत्री गोरधन वारिसान चन्द्रप्रकाश, तेजप्रकाश, जानकीदेवी, भगवती देवी, मधु, रागिनी पि0 मनोहर लाल हिस्सा 1/5 समस्त जाति धानका सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 814/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.12.2022 को जारी किया।

दस्तखत ———

ओहदा ———

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
वबत इजराय हुक्मनामा	4 रूपये		वबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरित			मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		